केन्द्रीय विश्वविद्यालय के यूजी कोर्सों की अनिवार्य प्रवेश परीक्षा उच्च शिक्षा की ज्वलंत समस्याओं से एक राहत जरूर है किन्तु कोई स्थाई समाधान नहीं।

– हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक

यूजीसी चेयरमैन एम. जगदीश कुमार द्वारा 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्नात्तक कक्षाओं में दाखिले के लिये घोषित किये गये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एन्ट्रेन्स टैस्ट (सीयूईटी) के साथ ही अब अगले सत्र से नई व्यवस्था लागू हो गई है। फिलहाल यह 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों पर ही अनिवार्य की गई है किन्तु निजी, डीम्ड एवं राज्यों के सरकारी विश्वविद्यालयों को भी इस में शामिल होने का विकल्प रहेगा।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिये यूपीए–2 के कार्यकाल में सीयूईटी एक्ट वर्ष 2010 में पारित किया गया था। किन्तु अब तक वह एक वैकल्पिक व्यवस्था थी। पिछले साल सिर्फ 14 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सीयूईटी को अपनाया गया था, जिनमें ज्यादातर अपेक्षाकृत नामी–गरामी विश्वविद्यालय शामिल नहीं थे। यूजीसी के नवीन फैसले के अनुसार, अब सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सत्र 2022–23 के लिये स्नातक कक्षाओं में दाखिले, 12वीं की परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर न होकर सीयूईटी के स्कोर के आधार पर होंगे।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर दाखिले की पिछले कई दशकों से चली आ रही 'कट–ऑफ' वाली व्यवस्था अब खत्म हो जायेगी। अप्रैल, 2022 के पहले हफ्ते में सीयूईटी के लिये आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे और जुलाई, 2022 में अनेक बड़े शहरों में नेशनल टैस्टिग एजेंसी (एनटीए) द्वारा ऑनलाइन माध्यम से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय के सात मशहूर कालेजों की दस स्नातक कक्षाओं के प्रवेश में ''कट–ऑफ'' 100 प्रतिशत तक पहुंच

गया था। इस को लेकर पूरे देश में ''कट–ऑफ'' की समूची व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गये थे।

देश में 12वीं की परीक्षाएं सीबीएसई और आईसीटीई सहित 50 से अधिक राज्य माध्यमिक बोर्डों द्वारा संचालित की जाती हैं, जिन के मूल्यांकन पैमानों में एकरूपता नहीं है। यह ठीक है कि नई व्यवस्था में 'कट–ऑफ' प्रणाली की विद्रूपतायें रोकी जा सकेंगी, किन्तु फिर भी 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के यूजी दाखिलों में इस नीतिगत बदलाव से देश के करोड़ो परिवारों की अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी दिलवाने का सपना अभी भी पूरा नहीं हो पायेगा।

यूजी स्तर पर अच्छे विश्वविद्यालयों में दाखिलों के लिये देश में मारामारी जैसा माहौल क्यों चला आ रहा है? क्या यूजीसी द्वारा लागू की गई सीयूईटी की नई व्यवस्था इस व्यापक समस्या का हल कर पायेगी? हमारे देश में जो आर्थिक व सामाजिक विविधतायें और विषमाऐं पाई जाती है, उन को देखते हूए क्या दाखिले की नई व्यवस्था यूजी दाखिलों में सब को समान अवसर दे पायेगी? क्या ऑनलाइन तरीके से संचालित एमसीक्यू प्रश्नों वाली परीक्षा समाज के सभी वर्गों को समान सहूलियत या कठिनाई प्रदान करेगी? क्या नीट और जेईई की तरह इस नई व्यवस्था से कोचिंग इंडस्ट्री और अधिक ताकतवर नहीं हो जायेगी? ज्ञातव्य है कि बयज्यू, आकाश, कैरियर लांचर, अनएकेडमी, अपग्रेड जैसी बड़ी कोचिंग कम्पनियां अभी से ताल ठोक कर मैदान मे आ खड़ी हुई हैं। सीयूईटी की घोषणा से पहले ही उनके कोचिंग पैकेज की बिक्री शुरू कर दी गई थी।

हमारे देश मे अगर क्वालिटी, ब्रांड और रोजगारपरकता के आधार पर विश्वविद्यालयों का चुनाव किय जाये तो देश के कुल 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों में बमुश्किल 200 विश्वविद्यालय ऐसे होंगे जहां हर भारतीय परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। इनमें 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 50 राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय और शेष प्राईवेट विश्वविद्यालय शामिल हैं। नैक के क्वालिटी पैमानों पर भी 20 से 25

प्रतिशत विश्वविद्यालय ही खरे उतरेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, बीएचयू, एएमयू जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिलों के लिये ज्यादा मारामारी इसलिये होती है क्योंकि वहां पढ़ाई–लिखाई का स्तर श्रेष्ठ है, फीस बहुत कम है और इन जगहों पर यूजी की पढ़ाई करने से युवाओं को अपना कैरियर बनाने में काफी आसानी रहती है।

ज्ञातव्य है कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रदान करने में बहुत अधिक लागत आती हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्र सरकार द्वारा पोषित होने के कारण फीस बहुत कम रखते हैं। किन्तु इस के विपरीत अशोका यूनिवर्सिटी, जिन्दल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, मनीपाल, सिम्बॉइसिस और नरसी मोनजी जैसी नामचीन प्राईवेट यूनिवर्सिटियों में कोर्स की कुल फीस 15 लाख रू. से 35 लाख रू. तक पहुंच जाती है। स्पष्ट है कि हर मध्यवर्गीय और गरीब परिवारों के लिये इसे वहन कर पाना कठिन होता है।

आईये, इस बात का भी जायजा लें कि 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालय देश में किस सीमा तक स्नातक स्तर की उच्च शिक्षा की पूर्ति करते हैं और कुल यूजी की सीटों में उनका कितना योगदान है? अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण, 2019–20 के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या 3.85 करोड़ थी जिन में यूजी स्तर पर 79.5 प्रतिशत यानि की 3.06 करोड़ विद्यार्थी पंजीकृत थे। 2015–16 में यह संख्या 2.74 करोड़ थी।

45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 2019–20 में 7.2 लाख थी जो कि कुल विद्यार्थियों का 2.4 प्रतिशत थी। इन 7.2 लाख विद्यार्थियों में यूजी स्तर पर मात्र 5.40 लाख विद्यार्थीं पंजीकृत थे। इस से साफ जाहिर है कि सीयूईटी यद्यपि एक स्वागत योग्य कदम है, किन्तु यह अपने आप में क्वालिटी उच्च शिक्षा के अभाव की विराट राष्ट्रीय समस्या का कोई प्रभावी निराकरण नहीं कर पायेगा।

ज्ञातव्य है कि सीईयूटी की ऑनलाइन परीक्षा का संचालन एनटीए जुलाई, 2022 में करेगी। अच्छी बात है कि परीक्षार्थियों को 13 भाषाओं में से किसी भी भाषा में ऑनलाइन टैस्ट देने को विकल्प रहेगा। ये भाषायें हैं– हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, असमी, बंगाली, पंजाबी एवं ओड़िया। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार के कथनानुसार सीईयूटी 3½ घंटे की ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें हर सवाल के साथ दिये गये वैकल्पिक उत्तरों में से किसी एक सही उत्तर पर परीक्षर्थियों को टिक करना होगा।

प्रश्नपत्र के प्रथम भाग में परीक्षार्थी की किसी एक भाषा में योग्यता का परीक्षण किया जायेगा। दूसरे भाग में परीक्षार्थी को दिये गये 27 विषयों में कम से कम एक और अधिकतम छः विषयों से संम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तीसरे भाग में, सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स, प्रारंभिक गणित और तर्कशास्त्र से जुड़े सवाल पूछे जायेंगे।

हमारे देश की संकटग्रस्त उच्च शिक्षा प्रणाली को ढर्रे पर लाने के लिये सीयूईटी एक सराहनीय कदम है। इससे यूजी प्रवेशों में बोर्ड परीक्षाओं के असंतुलित परीक्षाफलों पर निर्भरता खत्म होगी और 13 भाषाओं के माध्यम सुलभ होने से परीक्षार्थी अपनी मातृभाषा में परीक्षा दे पायेंगे। कम से कम 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये एक ही परीक्षा देना जरूरी होगा जो कि एक बड़ी राहत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में उच्च शिक्षा के कोर्सो में प्रवेश हेतु सामूहिक परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया था। एनईपी में कहा गया था कि ऐसी परीक्षा तभी कारगर होगी जब वह विद्यार्थियों को ज्ञान को आत्मसात करने और जीवन में उसे उपयोग करना सीखा सके। साथ ही ऐसी परीक्षा को ट्यूशन लेने या कोचिंग इन्स्टीट्यूट में पढ़ने की कुप्रथा को भी खत्म करना होगा। क्या हम नेशनल टैस्टिंग एजेंसी ये यह उम्मीद करें कि वह इन बातों को ध्यान में रखेगी? क्या हम 12 वर्षों के स्कूली अनुभव को प्रवेश परीक्षा में पूरी तरह से नकार सकते

हैं? यह भी सोचा जाना चाहिये कि किसी भी परीक्षार्थी की प्रतिभा को सिर्फ एमसीक्यू, रीजनिंग एबिलिटी टैस्ट या ऑनलाइन परीक्षा से ही नहीं जाना जा सकता है।

उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों की जरूरत है जिनकी तरफ डा. कस्तूरीरंगन कमेटी ने इशारा किया था। सीयूईटी इस दिशा में एक प्रभावी कदम तभी होगा, जब हम इसे बड़े, दूरगामी और ढांचागत सुधारों की पहली कड़ी के रूप में देखें। भारत में उच्च शिक्षा के व्यापक विस्तार और उसमें भारी विनियोग की जरूरत है जिस में कोई भी देरी घातक होगी।